प्रेस नोट

थाना एनकेजे पुलिस की अवैध मादक पदार्थ गांजा में बड़ी कार्यवाही, एक करोड़ से अधिक का माल जप्त

श्री अभिजीत कुमार रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से अवैध गतिविधियों में पूर्णतः अंकुश लगाये जाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को लगातार कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण :– उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से वाहन चेकिंग, गुण्डा निगरानी चेकिंग करने हेतु उप निरीक्षक नीरज दुबे थाना प्रभारी एनकेजे कटनी हमराह स्टाफ सउनि सहपाल परतेती, प्र.आर. शशिकांत करोसिया, आरक्षक लुटेश प्रजापति के साथ इलाका भ्रमण हेतु रवाना हुये। भ्रमण दौरान जरिये सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक कंटेनर सरपंच ढाबा के पास जुहली रोड में सूनसान जगह पर संदिग्ध हालत में खड़ा है। प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु मय स्टॉफ के साथ घटनास्थल पहुॅचा, पुलिस को देखकर कंटेनर वाहन में बैठा चालक एवं कंडक्टर दोनों कंटेनर से उतरकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया, दोनों व्यक्तियों से उसका नाम एवं पता पूंछा गया एवं भागने का कारण पूंछने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिये। दोनों आरोपियों द्वारा अपना–अपना नाम (1) राजेश जायसवाल (कंडक्टर) पिता रामभान जायसवाल उम्र 35 साल नि. ग्राम महसाव थाना गुड जिला रीवा एवं ड्राईवर ने अपना नाम दीपू उर्फ संदीप यादव पिता स्व.रामसुख यादव उम्र 27 साल निवासी ग्राम बडोरा थाना रामपुर बघेलान जिला सतना का रहने वाले बताये।

ट्रक कंटेनर की तलाश पतासाजी करने पर ट्रक से अजीब सी तीक्ष्ण गंध आ रही थी, जो चेक करने पर ट्रक में बने गुप्त चेम्बर के अंदर 13 नग भरी हुई बोरियां रखी हुई मिली, जिनको समक्ष गवाहान खोलकर देखने पर अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया, जिसे समक्ष गवाहान तौल कराया गया एवं जप्त किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना एनकेजे में अप.क्र. 562/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला कायम किया गया।

आरोपीगण :–

1. राजेश जायसवाल (कंडक्टर) पिता रामभान जायसवाल उम्र 35 साल नि. ग्राम महसाव थाना गुड जिला रीवा।
2. दीपू उर्फ संदीप यादव पिता स्व.रामसुख यादव उम्र 27 साल निवासी ग्राम बडोरा थाना रामपुर बघेलान जिला सतना।

जप्ती माल :–

1. 325 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 58,50,000/–रूपये
2. 01 ट्रक (कंटेनर) क्रमांक एम.एच. 40 बी.एल. 2658 कुल कीमत 45,00,000/–रूपये
3. नगद रूपये 6100/–, 01 एंड्रायड व 01 कीपैड मोबाइल 12,000/– रूपये।

उक्त जप्त माल की कुल कीमत 1,03,68,100/–रूपये (एक करोड़ तीन लाख अड़सठ हजार रूपये) जप्त किये गये।

यह भी उल्लेखनीय है कि कटनी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा में लगातार कार्यवाही कर दिनांक 01 जनवरी 2023 से आज दिनांक तक 62 प्रकरण, 83 आरोपियों के विरूद्ध दर्ज कर आरोपियों से 462 किलोग्राम गांजा कीमती 54,15,500/–रूपये जप्त किये गये, साथ ही प्रकरण में 01 ट्रक, 02 स्विफ्ट कार, 01 एक्सयूव्ही कार, 05 दो–पहिया वाहन कुल कीमती 71,50,000/–रूपये की भी जप्त कार्यवाही की गई है।

सराहनीय भूमिका :–

उप निरीक्षक नीरज दुबे थाना प्रभारी एनकेजे, सउनि सहपाल परतेती, सउनि केवल उइके, प्रधान आरक्षक शशिकांत करोसिया, आरक्षक दीपक तिवारी, आरक्षक लुटेश प्रजापति सभी थाना एनकेजे, प्रधान आरक्षक प्रशांत विश्वकर्मा सायबर सेल कटनी, साथ ही जबलपुर जोन की नारकोटिक्स इंटेलीजेंस विंग की उक्त कार्यवाही में सराहनीय भूमिका रही है।